



स्वास्थ्य निदेशालय झारखण्ड, राँची।

E-Mail: - Jhr.healthdirector4@gmail.com



सं०सं०-स्वा०नि०/23/मु०स्था०-35/2025- 1397(23)

राँची, दिनांक 30/07/2025

आदेश

दिनांक 28-29 जुलाई 2025 को सम्पन्न स्थापना समिति, स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थानांतरण हेतु अनुशंसित निम्नलिखित राज्य स्तरीय एक्स-रे-टेक्नीशियन को उनके नाम के सामने कॉलम-03 में अंकित स्थान से स्थानांतरित करते हुए कॉलम-04 पर अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सत्येन्द्र कुमार एक्स-रे-टेक्नीशियन	रेफरल अस्पताल, डोमचाँच, कोडरमा।	सदर अस्पताल, कोडरमा।	अभ्यावेदन पर
2	मो० अखलाक अहमद वरीय एक्स-रे-टेक्नीशियन	जिला यक्ष्मा केन्द्र, लोहरदगा।	रिनपास, कांके, राँची।	अभ्यावेदन पर

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- अभ्यावेदन पर स्थानांतरित किए गए कर्मियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों का दिनांक 11.08.2025 तक निश्चित रूप से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा दिनांक 13.08.2025 के पूर्वाह्न से वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।
- स्थानांतरित स्थल पर पद रिक्त नहीं रहने पर संबंधित कर्मि का पदस्थापन संबंधित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी अपने स्तर से रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करते हुए इसका अनुमोदन स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त कर लेंगे।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मियों का पूर्व पदस्थापित स्थान से उनके पदस्थापन के संबंध में सत्यापित करा लेंगे।
- स्थानांतरित कर्मियों को माह अगस्त 2025 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से देय होगा। स्थानांतरण आदेश की सम्पुष्टि उपरांत ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।
- स्थानांतरण कर्मि यदि पूर्व से अन्य संस्थान में प्रतिनियुक्त है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

(डॉ० सिद्धार्थ सान्याल)

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापाक-स्वा०नि०/23/मु०स्था०-35/2025- 1397(23)

राँची, दिनांक 30/07/2025

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/अधीक्षक/प्राचार्य, सभी संबंधित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, झारखण्ड/राजकीय टीकौषधि प्रतिष्ठान, नामकुम, राँची/सभी संबंधित सिविल सर्जन/सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,
झारखण्ड, राँची।